

नवीन उद्यम की स्थापना हेतु कोष व्यवस्था एक अध्ययन



ANKITA VERMA
DEPT. OF COMMERCE
DURGA COLLEGE, RAIPUR

नवीन इकाई की स्थापना (Establishment of new unit)



“जैसे पानी की बूंद-बूंद से तालाब भरता है वैसे ही विभिन्न वित्तीय स्रोतों द्वारा समाज की जो बचत संग्रहित होती हैं उससे वित्त के वृहत सरोवर का निर्माण होता है जो कि किसी उद्यम को सिंचकर उसे सदा हरा भरा रखता है।”

डा. आर. सी. अग्रवाल

उद्यमिता का महत्व

(Importance of Entrepreneurship)

- नवाचारों को प्रोत्साहन (Promote Innovations)
- सफल इकाइयों की स्थापना (Establishment of successful units)
- तीव्र आर्थिक विकास (Rapid economic growth)
- संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग (Rapid economic growth)
- आत्मनिर्भर समाज की स्थापना (Establishment self-sufficient society)
- सामाजिक परिवर्तनों का उपकरण (Tool of social changes)
- पूंजी निर्माण में योगदान (Promotes capital formation)

नवीन इकाई की स्थापना के लिए वैधानिक आवश्यकताएं (Legal Requirement for establishment of a new unit)

24 जुलाई 1991 को घोषित नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार –

1. लाइसेंस (License)

A 15 उद्योगों को अनिवार्य।

B लघु उद्योगों को लाइसेंस अनिवार्य नहीं।

C उच्च प्राथमिकता उद्योग (विदेशी 1 करोड़ घरेलु बिक्री के 5 % अथवा 8 % तक आयात) पर लाइसेंस अनिवार्य नहीं।

2. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से निकासी (Clearance from pollution control board)

A केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्रदूषण निकासी प्रमाण पत्र

(i) प्रथम प्रमाण पत्र वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण 1981 के अंतर्गत)

(ii) दूसरा प्रमाण पत्र जल (अधिनियम 1974)



3 अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र (**Provisional registration certificate**)

राज्य के उद्योग केन्द्र से मिलेगा – एक वर्ष हेतु 6 माह 6 माह

4 स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र (**Permanent registration certificate**)

5 पूंजी निर्गमन प्रमाण पत्र (**Capital issue certificate**)

6 कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन (**Registration under the Factories Act**)

अ.शक्ति के साथ 10 या अधिक

ब.बिना शक्ति 20 या अधिक श्रमिक

स.कारखाना अधिनियम 1948 के तहत

7 आयात लाइसेंस (**Import license**)

8 लघु इकाई पंजीयन प्रमाण पत्र (**Small unit (SSI) registration certificate**) (लघु उद्योग निदेशालय से प्रमाण पत्र)

9 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र (**Certificate under Essential Commodities Act 1955**)



- 10 परिभोगी द्वारा सूचना (Notice by the Occupier) कारखाने का उपयोग
- 11 शक्ति के संयोजन के लिए आवेदन (Application for power connection)
(भारतीय विद्युत अधिनियम 1910)
- 12 जल संयोजन के लिए आवेदन (Application for water connection)
- 13 आयकर सत्ता के अन्तर्गत पंजीयन (Registration under Income tax authorities)
- 14 बिक्री कर सत्ता के अन्तर्गत पंजीयन (Registration under Sales tax authorities)
- 15 ट्रेडमार्क अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन (Registration under Trade mark Act)

कोष / फंड की व्यवस्था (Raising of funds)

प्रकार – 1.अल्पकालीन
2.दीर्घकालीन

फंड एकत्र करने से पूर्व अनुमान–

- 1 स्थायी सम्पत्तियां (Fixed Assets)
- 2 चालू सम्पत्तियां (Current Assets)
- 3 प्रवर्तन सम्बन्धी व्यय (Promotion expenses)
- 4 कंपनी संगठन (Company organization)
- 5 व्यवसाय को सुदृढ़ करने संबंधी व्यय (Expenses as to making Business sound)
- 6 व्यावसायिक वित्त प्राप्त करने के लागत व्यय (Cost of Financing)

कोष एकत्र करना



1 अंशो के निर्गमन द्वारा

(Raising funds through Issue of Shares)

2 ऋणपत्रो के निर्गमन द्वारा

(Raising funds through Issue of Debentures)



THANKS